[18/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2018]

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 2018 के प्रश्नांश (ख) से संबंधित जानकारी

1. वन परिक्षेत्राधिकारी, मैहर द्वारा संस्था प्रमुख, अल्ट्राटेक सीमेन्ट सरलानगर मैहर के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 31/12 दिनांक 24.02.2024 पंजीबद्ध किया गया।

2. वनमंडलाधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक/मा0चि0/3029 दिनांक 08.04.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को प्रतिवेदित किया गया कि अल्ट्राटेक सीमेन्ट वर्क्स औद्योगिक संस्थान द्वारा कक्ष क्रमांक पी.–555 में 27.9 हेक्टेयर वनभूमि पर बिना स्वीकृति निर्माण कार्य किया है।

3. प्रकरण में त्वरित कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/19/0009/2024/10–4 दिनांक 31.05.2024 से श्री सतीशचन्द्र मिश्रा, वन परिक्षेत्राधिकारी, मैहर एवं आदेश क्रमांक एफ 1/1/19/0009/2024/10–4 दिनांक 31.05.2024 से श्री यशपाल मेहरा, प्रभारी उप वनमंडलाधिकारी, मैहर को निलंबित किया गया।

4. वनमंडलाधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक/मा0चि0/2024/5770 दिनांक 25.07.2024 से मुख्य वन संरक्षक, रीवा एवं पृष्ठांकन क्रमांक 5771 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को प्रतिवेदित किया गया कि मेसर्स अल्ट्राटेक मैहर सीमेन्ट वर्क्स औद्योगिक संस्थान द्वारा रकबा 27.9 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/1653/2145382/24/100 दिनांक 06.09.2024 द्वारा मैहर सीमेन्ट को लीज पर दी गई वनभूमि का राजपत्रित अधिकारियों से सीमांकन करवाकर प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मैहर को निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मैहर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/477/स्टेनो/2024 दिनांक 27.09.2024 से संयुक्त सीमांकन हेतु दल गठित किया गया।

6. उक्त गठित दल द्वारा किये गये संयुक्त सीमांकन के उपरांत उप वनमंडलाधिकारी, मैहर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1554 दिनांक 25.11.24 से संयुक्त प्रतिवेदन वनमंडल कार्यालय सतना को प्रेषित किया गया है, जिसमें मैहर सीमेन्ट द्वारा 25.583 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण होने संबंधी लेख किया गया है।

7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–1/वि.स./आश्वा./सामान्य/2024/10–11/6006 दिनांक 16.12.2024 से स्वीकृत वनभूमि के अतिरिक्त बिना अनुमति के वनभूमि पर किये गये निर्माण कार्य हेतु

आवेदक संस्थान से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव चाहा गया है।

8. उक्त पत्र के पालन में वनमंडलाधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक/मा0चि0/10255 दिनांक 17.12.2024 से आवेदक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमि. यूनिट सरलानगर, मैहर, जिला मैहर को लेख किया गया है।

9. वनमंडलाधिकारी, सतना के पत्र के परिपालन में आवेदक संस्था द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिसका सिंगल विंडो नम्बर SW/236343/2025 तथा प्रकरण क्रमांक FP/MP/OTHERS/525697/2025 है।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

D:\Hemant\office letter\Office Letter-2025\vs-March-25\vs-2018-Rewa.docx

ile No. 5/1/2/0034/2025-Sec-3-10(FOR) (Computer No. 432481)